अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–03/2024

गौतम सिंह बनाम बबलु मांझी वगै0 एवं राज्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

30/07/24

अपीलार्थी गौतम सिंह, पिता–श्री सुरजपत सिंह, ग्राम–राँची रोड़, मरार, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0–69/2015–16 बबलु मांझी वगै0 बनाम् गौतम सिंह में दिनांक–02.01.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। तदोपरांत उभय पक्ष को नोटिस के माध्यम से सूचना निर्गत कर दिनांक–16.02.2024 को वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष एवं लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–हरवे, थाना सं0–175, थाना–माण्डू के खाता सं0–30 के प्लॉट सं0–337, रकवा–0.46 एकड़, प्लॉट सं0–338, रकवा–0.25 एकड़, खाता सं0–45, प्लॉट सं0–279, रकवा–0.08 एकड़, प्लॉट सं0–301, रकवा–0.40 एकड़, प्लॉट सं0–307, रकवा–0.20 एकड़, प्लॉट सं0–309, रकवा–0.45 एकड़, प्लॉट सं0–310, रकवा–0.23 एकड़, कुल रकवा–2.07 एकड़ से संबंधित है, अपीलार्थी का खाता सं0–30 के प्लॉट सं0–337, रकवा–0.46 एकड़, प्लॉट सं0–338, रकवा–0.25 एकड़ से सरोकार है, खाता सं0–45 की भूमि से जिसका रेस्पोंडेन्टस/आवेदक मुकदमा दायर किये हैं, उस प्लॉट से कोई सरोकार नहीं है। रेस्पोंडेन्टस सं0–01 एवं 02 द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के यहाँ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (4ए) के तहत् आवेदन देकर प्रश्नगत् भूमि पर विपक्षी द्वारा 06–07 वर्ष से जबरन कब्जा कर बेदखल किये जाने पर भू–वापसी का अनुरोध किया गया, जिस पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अंचल अधिकारी, माण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा हल्का कर्मचारी व अचंल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा समर्पित जाँच पतिवेदन के अवलोकन से अपीलार्थी को यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी के बावत यह रिर्पोट किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपना कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक या अंचल अधिकारी कभी भी प्रश्नगत् भूमि के स्थल पर जाकर जाँच नहीं किये एवं न ही नापी करवाये, जिस कारण से अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा भूमि के वास्तविक स्थिति को अपने जाँच प्रतिवेदन में नहीं दर्शाया गया। वास्तविक तथ्य यह है कि मौजा–हरवे का खाता सं0–30 एवं 45 सर्वे खतियान में मंझीया मांझी, बुटा मांझी, बरकु मांझी और बुधिया मांझी जो रेस्पोडेंट् बबलु मांझी के पूर्वज हैं, के नाम से है। खतियानी रैयत द्वारा खाता सं0–30 एवं 45 के भूमि लगान नहीं देने के कारण राजा बहादुर के0एन0 सिंह भूतपूर्व जमींदार द्वारा रेन्ट सूट नं0–701/1938–39 दायर किये, जो भूतपूर्व जमींदार के पक्ष में आदेश पारित हुआ एवं भूतपूर्व जमींदार को उक्त खाता की भूमि एक्सक्युशन केस नं0–315/41–42 के माध्यम से आदेश प्राप्त हुई एवं दखल दिहानी वाद सं0–104/1943–44 के माध्यम से भूतपूर्व जमींदार को दखल प्राप्त हुआ। भूतपूर्व जमींदार द्वारा उक्त खाता सं0–30 एवं 45 की सम्पूर्ण भूमि सैहनाथ को दिनांक–15.09.1945 को बंदोबस्त कर दखल–कब्जा सुपुर्द किया गया, जिस पर सैहनाथ महतो शांतिपूर्ण दखलकार

हुए एवं उपयोग व उपभोग करने लगे। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार को एवं जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् राज्य सरकार को प्रश्नगत् भूमि का लगान देते रहे। सैहनाथ महतो द्वारा दिनांक–12.03.1973 को मोहिउद्दीन अंसारी एवं अन्य को निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि विक्रय किये, इस पर खरीदगी पश्चात् मोहिउद्दीन अंसारी प्रश्नगत् भूमि पर दखलकार होकर अंचल अधिकारी, माण्डू के यहाँ से दाखिल–खारीज करवाकर मालगुजारी रसीद प्राप्त किये। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि को खरीदने के पश्चात् अंचल अधिकारी, माण्डू के यहाँ से दाखिल–खारीज वाद सं0–1166/07–08 के माध्यम से दाखिल–खारीज होकर पंजी–II के भोलुम सं0–02, पेज सं0–100 पर जमाबंदी कायम होकर मैन्युअल एवं ऑनलाईन अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत हो रही है। मोहिउद्दीन अंसारी द्वारा खाता सं0–30 एवं 45 की खरीदगी भूमि में से खाता सं0–30 के प्लॉट सं0–337 का रकवा–46 डी0, प्लॉट सं0–338 का रकवा–25 डी0, खाता सं0–45 के प्लॉट सं0–339 का रकवा–06 डी, प्लॉट सं0–340 का रकवा–76 डी0, प्लॉट सं0–341 का रकवा–39 डी0, प्लॉट सं0–342 का रकवा–12 डी0 एवं प्लॉट सं0–344 का रकवा–17 डी0, कुल रकवा–2.43 एकड़ भूमि में चाहरदीवारी अपीलार्थी को निबंधित विक्रय पत्र दिनांक–26.04.2006 के माध्यम से विक्रय किये। मोहिउद्दीन अंसारी द्वारा खतियानी रैयत के वंशजों के द्वारा विवाद उत्पन्न करने पर एक स्वत्व वाद सं0–93/80 व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग में खतियानी रैयत के वंशजों के खिलाफ दायर किया था, जिसमें उपायुक्त, हजारीबाग को भी पक्षकार बनाया गया था, उक्त स्वत्व वाद में मेरिट पर व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग द्वारा दिनांक–15.09.1988 को मोहिउद्दीन अंसारी वगै0 के पक्ष में आदेश पारित करते हुए, दिनांक–15.09.1988 को डिक्री बनाई गई। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा सूचना निर्गत कर अपीलार्थी/विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग करने पर अपीलार्थी निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर एक आवेदन दायर किया कि जिस भूमि पर भू–वापसी का आवेदन दिया गया है, उस भूमि के खाता सं0–45 की भूमि से अपीलार्थी/विपक्षी को सरोकार नहीं है, इस कारण से अंचल अधिकारी, माण्डू से भूमि की मापी कराकर स्थिति स्पष्ट कर ली जाए एवं उक्त भूमि पर पूर्व में व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग से डिक्री भी हो चुकी है से संबंधित दस्तावेज भी समर्पित किया गया कि उक्त भूमि पर इस कारण से भू–वापसी का मामला नहीं बनता है, इस बात को रखने एवं प्रश्नगत् भूमि के खाता सं0–45 की भूमि से अपीलार्थी को कोई सरोकार नहीं होने एवं उक्त भूमि बावत व्यवहार न्यायालय, हजारीबाग से आदेश पारित होने एवं अपीलार्थी के विक्रेताओं का भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपीलार्थी के विधिसम्मत् तथ्यों से संतुष्ट हुए बिना आवेदकगण/रिस्पोंडेन्ट सं0–01 एवं 02 के भू–वापसी आवेदन को स्वीकार किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक–02.01.2024 को पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष एवं लिखित अभिकथन प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि मौजा रतवे थाना सं० 175 के खाता सं० 30 प्लॉट सं0 337 रकबा 0.46 एकड़ प्लॉट सं0 338 रकबा 25 एकड़ तथा खाता सं0 45 के प्लॉट सं० 279

रकबा 0.08 एकड़, प्लॉट सं0 301 रकबा 0.40 एकड़, प्लॉट सं0 307 रकबा 0.08 एकड़, प्लॉट सं० 309 रकबा 0.45 एकड़, प्लॉट सं० 310 रकबा 0.23 एकड़, कुल दो खाता कुल रकबा 2.07 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में द्वितीय पक्ष के परदादा मंझीया मांझी वगै० के नाम से दर्ज है, जिसकी जमाबंदी कायम है तथा वर्ष 2009–10 तक सरकारी रसीद निर्गत है। आवेदित भूमि पर इनका दखल कब्जा है। उक्त भूमि इनके परदादा के द्वारा किसी को बिक्री नहीं किया गया है। विपक्षी गैरआदिवासी हैं, जो इनके जमीन को हड़पने के लिए साजिश के तहत् जाली बनावटी कागजात के आधार पर 6–7 वर्षों से इन्हें बेदखल कर दिया गया है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 (4) (ए) के आलोक में भूमि वापस करने का अनुरोध किया गया।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की है तथा प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4 (ए) के प्रावधानों के तहत् उक्त भूमि प्रथम पक्ष को वापस किया जा सकता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4 (ए) के तहत् आवेदित भूमि से प्रथम पक्ष (गैर आदिवासी) को उच्छेदित करने का आदेश देते हुए, 30 दिनों के अन्दर उक्त भू–खण्ड पर खतियानी रैयत के वारिशानों को दखल दिलाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, माण्डू के प्रतिवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा मौजा–हरवे थाना सं0 175 के खाता सं० 30 के प्लॉट सं० 337, 338 रकबा 0.46 ए०, 0.25 ए० तथा खाता सं0 45 के प्लॉट सं0 279, 301, 307, 309, 310 रकबा क्रमशः 0.08 ए०, 0.40 ए०, 0.20 ए०, 0.45 ए०, 0.23 ए० कुल रकबा 2.07 एकड़ भूमि पर दावा किया जा रहा है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल साक्ष्य एवं लिखित अभिकथन के अनुसार मौजा हरवे थाना सं० 175 के खाता सं० 30 के प्लॉट सं0 337, 338, रकबा 0.46 ए०, 0.25 ए० तथा खाता सं०–45 के प्लॉट सं०–339, 340, 341, 342 एवं 344, रकबा क्रमशः 0.06 ए०, 0.76 ए०, 0.39 ए०, 0.12 ए० एवं 0.17 ए० कुल रकबा 2.43 एकड भूमि निबंधित केवाला सं० 6388 दिनांक 26.04.2006 के द्वारा खरीद कर दखलकार रहने का दावा किया गया है। मौजा हरवे थाना सं0 175 के खाता सं० 30, प्लॉट सं० 337, 338, रकबा 0.46 ए० एवं 0.25 ए० तथा खाता सं० 45 के प्लॉट सं० 279, 301, 307, 309, 310 रकबा क्रमशः 0.08 ए०, 0.40 ए०, 0.20 ए०, 0.45 ए०, 0.23 ए०, कुल रकबा 2.07 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में मंझीया मांझी के नाम से रैयती दर्ज है। पंजी ॥ के पृ०सं० 100/2 पर गौतम कुमार सिंह, पिता सुरजपत सिंह के नाम से खाता सं० 30, 45 रकबा 2.43 एकड़ की जमाबंदी दर्ज है। बेदखली की अवधि लगभग 9 वर्ष है। लेकिन अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा मौजा हरवे के खाता सं0–30 प्लॉट सं0–337, 338, रकवा क्रमशः 0.46 ए0, 0.25 ए0 एवं खाता सं0–45 के प्लॉट सं0–279, 301, 307, 309, 310, रकवा क्रमश :–0.08 ए0, 0.40 ए0, 0.20 ए0, 0.45 ए0, 0.23 ए0, कुल रकवा–2.07 एकड़ के भूमि पर भू–वापसी हेतु कार्रवाई का अनुशंसा किया गया है, जबकि अपीलार्थी का कहना है कि मौजा–हरवे के खाता सं0–45, प्लॉट सं0–279, 301, 307, 309, 310 से उन्हें कोई सरोकार नहीं है।

उनके द्वारा खाता सं0–30, प्लॉट सं0–337, 338, रकवा क्रमशः–0.46 ए0, 0.25 ए0 एवं खाता सं0–45, प्लॉट सं0–339, 340, 341, 342 एवं 344, रकवा क्रमशः 0.06 ए0, 0.76 ए0, 0.39 ए0, 0.12 ए0 एवं 0.17 ए0, कुल रकवा–2.43 एकड़ भूमि केवाला सं0–6388, दिनांक–26.04.2006 के द्वारा खरीदगी से प्राप्त है। खाता सं0–45 के उनके खरीदगी प्लॉट पर वाद दायर नहीं किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत केवाला में खाता सं0–30, प्लॉट सं0–337 एवं 338 तथा खाता सं0–45, प्लॉट सं0–339, 340, 341, 342 एवं 344 इन्द्राज है। इससे यह स्पष्ट है कि खाता सं0–45 के अपीलार्थी एवं विपक्षी अलग–अलग प्लॉट पर दावा कर रहे हैं। जबकि खाता सं0–45 भी आदिवासी खाते की भूमि है, जिसके अन्तर्गत ही प्लॉट सं0–339, 340, 341, 342 एवं 344 सन्निहित है। चुंकि अंचल अधिकारी, माण्डू के अनुसार अपीलार्थी के द्वारा खाता सं0–45, प्लॉट सं0–279, 301, 307, 309, 310 से आदिवासी रैयत को बेदखल किया गया है, लेकिन अपीलार्थी का कहना है कि खाता सं0–30 के प्लॉट सं0–337, 338, रकवा क्रमशः 0.46 ए0, 0.25 ए0 एवं खाता सं0–45, प्लॉट सं0–339, 340, 341, 342 एवं 344 का केवाला से प्राप्त कर दखल–कब्जा कायम है। चुंकि उक्त भूमि भी आदिवासी खाते की भूमि है अर्थात अपीलार्थी के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–02.01.2024 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए, अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

30/9/2025

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

30/9/2025

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by Kumari Geetanjali
Date: 2025.09.26 11:44:32 +05:30
Location: 192.168.0.45